



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

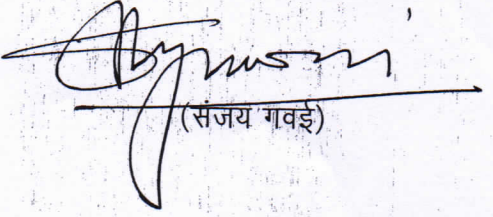
पत्रांक: 005/2009/वि.प. (22)/2015/256

दिनांक: 31.03.2015

कार्यालयादेश

14 मार्च, 2015 को आयोजित विद्या-परिषद की 22^{वीं} बैठक की मद संख्या 21 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में निम्नलिखित दो नये विभाग खोले जाते हैं-

- (1) पूर्वोत्तर भाषा व संस्कृति विभाग (पूर्वाशा)- साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत।
- (2) दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग (दक्षिणावर्त)- संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत।


(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
5. वित्त विभाग
6. परीक्षा प्रभारी
7. क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता को इस आशय के साथ कि वे पाठ्यक्रम के संबंध में सक्षम निकायों (अध्ययन मंडल एवं स्कूल बोर्ड) के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
8. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/अनुभाग
9. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. संबंधित फाइल